न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 096/2024

गंगा पुत्री लादूराम पत्नी कन्हैयालाल जाट
निवासी जाटों का बास, ग्राम पिचियाक,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. पूनाराम पुत्र पाबूराम जाट
   निवासी ग्राम भावी जे.बी.
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
2. मंगलाराम पुत्र पाबूराम जाट
   निवासी ग्राम भावी जे.बी.
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
3. कुलदीप चौधरी पुत्र रामकिशोर जाट
   निवासी ग्राम भावी जे.बी.
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
4. गंगा पुत्री लादूराम जाट
   निवासी ग्राम कालाउना,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) बिलाडा दिनांक 03 जनवरी 2024 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–
श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 3
श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 4
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक 10 जून 2024

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलाण्ट की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया गया। साथ ही धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या एक की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास स्थित आराजी खसरा संख्या 641 रकबा 1.8688 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा संख्या 641/1 रकबा 1.680 हैक्टेयर बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 640 रकबा 2.5403 हैक्टेयर बारानी प्रथम के संबंध में रिकार्ड दुरूस्ती एवं शुद्धि–पत्र भरने बाबत प्रस्तुत किया, विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में जांच रिपोर्ट तलब कर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों, अपील मीमो एवं प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रकरण में सुनवाई एवं आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी बिलाडा को अधिसूचना कमांक प.6(12)राज/6/92/26 दिनांक 20 दिसम्बर 1995 द्वारा प्रदत्त है। यही मत 2024(11) आरबीजे 66 के मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 4 को नोटिस जारी नहीं किये गये और सुनवाई का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 4 वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड सहखातेदारान है। 2007(14) आरबीजे 55 में भी प्रतिपादित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। स्वंय रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजियात के पूर्व में खसरा संख्या 640 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा संख्या 641 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा होना प्रकट होता है। उक्त भूमि में अपीलाण्ट के दादा पाबूराम पुत्र करणाराम का ⅓ हिस्सा था। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी जे.बी. स्थित खसरा संख्या 388, 389, 593, 367 कुल रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा संख्या 4735, 4735, 4736 व 5467 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा अपीलाण्ट के दादा पाबूराम पुत्र करणाराम के नाम दर्ज थी। अपीलाण्ट के दादा पाबूराम ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौता अनुसार खसरा 640 व 641 में अपने ⅓ हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के पिता लादूराम के हिस्से में, खसरा संख्या 388, 389, 593, 367 में अपने निहित ⅓ हिस्से की भूमि व खसरा संख्या 4735, 4735, 4736 व 5467 की सम्पूर्ण भूमि रेस्पो. संख्या 1 व 2 के हिस्से में रखी। अपीलाण्ट के दादा पाबूराम के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 561 रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में भरा गया तथा लादूराम की अनपढता का फायदा उठाते हुए अपीलाण्ट के पिता लादूराम के के हिस्से में रखी भूमि बाबत भी रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अपना नाम लादूराम के साथ–साथ फौतेदगी म्युटेशन संख्या 300 में दर्ज करवा लिया। कालान्तर में अपीलाण्ट के पिता लादूराम के फौत होने पर म्युटेशन संख्या 710 हळका पटवारी से मिलीभगत कर रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष एतराज पेश किया गया और स्वयं अपने नाम फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत कराया गया। उक्त म्युटेशन के जरिये ही लादूराम के हिस्से में पारिवारिक बंटवारा अनुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रखी गयी भुमि (जिसके संबंध में पूर्व में रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपना भी नाम दर्ज करवाया था), बाबत भी रेस्पो. संख्या एक व दो की सहमति से उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया गया। स्वयं रेस्पो. संख्या एक व दो की सहमति होने से यह कार्यवाही हळका पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से हटाये जाने की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त म्युटेशन को अपास्त किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 की कार्यवाही के जरिये मात्र लिपिकीय भूल सुधार किया जा सकता है, किन्तु भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। 2022(3) डीएनजे (राज) 1091 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को पोषणीय नहीं माना है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में आलौच्य प्रकरण की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी, क्योंकि अपीलाण्ट को न तो पक्षकार संयोजित किया गया और न ही नोटिस जारी कर सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार होने के कारण वादग्रस्त आराजियात से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश के प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक व तीन ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के पूर्व में मूल खसरा संख्या 640 व 641 उरजा पुत्र करना ⅓, लादूराम, पूनाराम (प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक), मंगलाराम पिसरान पाबू ⅓ (प्रत्येक का ⅑–⅑हिस्सा) एवं जोगा पुत्र केशिया ⅓ के नाम दर्ज थे जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2031–2034 से होती है। मगर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जमाबंदी संवत 2035–2038 में हळका पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से पूनाराम एवं उसके भाई मंगलाराम के नाम इन्द्राज नहीं किये गये और यही गलती आगे राजस्व रिकार्ड में दोहरायी जाती रही है। गलत इन्द्राजात के अनुसार उरजा पुत्र करना, गंगा पुत्री लादू, जोगा पुत्र केशिया ने खसरा संख्या 640 व 641 का आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया, और इस प्रकार रेस्पो. संख्या एक व दो को मौके पर उक्त भूमि पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होते हुए भी राजस्व रिकार्ड से उनका नाम विलोपित कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट अधिकारविहीन, मियाद बाधित, मिथ्या कथनों पर आधारित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या 4 द्वारा अधिवक्ता–अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया गया जबकि रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात बाबत सहखातेदार दर्ज है और स्वयं रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना पाया जाता है, अतः धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को आलौच्य अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित कर नोटिस एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस कारण विचारण न्यायालय में समक्ष मामले की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तथ्यों एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट की बहस पर विश्वास करते हुए आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में प्रस्तुत नजीरों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.6(12)राज/6/92/26 दिनांक 20 दिसम्बर 1995 के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता–अपीलाण्ट का यह कथन उचित पाया जाता है कि आलौच्य मामले में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रकरण में सुनवाई एवं आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी बिलाडा को ही उपलब्ध होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 एवं उसके अनुसरण में की गयी समस्त कार्यवाही अपास्त की जाती है और राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10 जून 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर